

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 54/2017

1- राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल उम्र बालिग जाति टांक निवासियान ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज.

-----वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, विजयनगर।

-----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी
निर्णय

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बाड़ी तहसील बिजयनगर के खसरा नंबर 213 रकबा 03-19-00, वादी के नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजियात संवत 2041 में राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजियात वादी के नाम गैर खातेदार भूदान होल्डर अलोट की थी जो नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 22.08.1996 के द्वारा वादी के नाम नामान्तरकरण बतौर भूदान होल्डर के रूप में दर्ज हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1679 दिनांक 14.12.2010 के द्वारा भूदान होल्डर को विलोपित किया गया था। उक्त आराजियात वादी को अलोटमेंट के वक्त से ही कब्जा चला आ रहा है, तभी से ही वादी काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी पिछले 21 साल से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के सुखाधिकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं। जिससे वादी के नाम खातेदार दर्ज करने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कराने का एक मात्र अधिकारी है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को गलत इन्द्राजों के आधार पर खुर्द बुर्द कर देगा और कई लोगो के नाजायज कब्जा करा देगा। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के हक में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारीत की जाकर वादग्रस्त आराजियात में वादी के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो वादी के उक्त आराजियात में गैर खातेदार लिखा है, उससे हटाकर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादी को विवादित आराजियात से बेदखल नही करे तथा हस्तांतरित परिवर्तित आदि नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी ने निवेदन किया कि विवादित भूमियां वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा कमाण्ड ऐरिया में होने से खातेदारी नही दी जा सकती है। अतः वाद खारीज किया जावे।

प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी दीपचन्द पुत्र शंकरलाल राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल ने आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत शपथ पत्र पेश कर कथन अपने वाद पत्र के कथनो का समावेश किया और दावा स्वीकार करने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनसुार विवादित भूमियां वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमाण्ड ऐरिया में विवादित भूमियां होने के कारण उन्हें खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायचित प्रतित नही होता है, अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।
खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)

(सुअर0ए0एस0)

उपपक्ष एवं अधिकारी क्रमसूक्ष्म
मसूदा (अजमेर) राज०

